न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 113/2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/452

1. बनवारी लाल पुत्र खिराज राम जाति नायक निवासी भागसर हाल 15 पीटीडी ए तहसील रायसिंहनगर

—अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये नायब तहसीलदार राजस्व समेजा

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

1. श्री अनिल गखड़, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. राजपैरोकार एवं उपतहसीलदार समेजा कोठी, प्रत्यर्थी

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 24/7/2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. अपील प्रकरण पूर्ववर्ती न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर (प्र.सं. 12/23) से क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज किया गया। अपीलार्थी के द्वारा यह अपील प्रत्यर्थी नायब तहसीलदार समेजा के आदेश दिनांक 12.06.2023 जिसके द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 22 राज. उप. अधि. के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी को राजकीय भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए भूमि पर अवैध निर्माण को हटाकर राजहित में कुर्क कर बहक सरकार जब्त कर निलाम करने एवं अपीलार्थी को भूमि से बेदखल कर कब्जा बहस सरकार लिये जाने के आदेश पारित किये गये हैं के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।
2. अपील दर्ज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय से अपीलधीन आदेश संबंधित अभिलेख तलब किया गया। बहस अपील सुनी गयी। अपीलार्थी अधिवक्ता अपील पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि आलौच्य आदेश अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिए एकपक्षीय बिना अपीलार्थी का जवाब लिए व बिना अपीलांट की हाजरी के पारित किया गया हैं। वादग्रस्त भूमि चक 1 पीटीडीए के प.नं. 271/340 कि.नं. 14 राजकीय भूमि नहीं है, बल्कि गैर मुमकिन नहर के नाम से दर्ज हैं। जो कि सिंचाई विभाग की भूमि हैं जिसमें धारा 22 के तहत कार्यवाही हेतु अधिनस्थ न्यायालय सक्षम नहीं हैं। उक्त भूमि पर अपीलार्थी का 30 सालों से कब्जा था तथा वहां पूर्व से भी बहुत दुकानें बनी हुई हैं अपीलार्थी भी अपनी दुकान का निर्माण कर रहा था। यदि अपीलार्थी को भूमि से बेदखल किया जाता है तो अपीलार्थी का रोजगार समाप्त हो जावेगा। आलौच्य आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य होने से निरस्त करने हेतु निवेदन किया। प्रत्यर्थी द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि उनके द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत हैं। अपील सारहीन होने के कारण खारिज करने हेतु निवेदन किया।
3. बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिनांक 29.05.2023 को दर्ज कर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये तथा आगामी पेशी 12.06.2023 नियत की गयी। आदेशिका दिनांक 29.05.2023 पर अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अंकित किया गया कि रिपोर्ट "पटवारी/गिरवार हल्का प्राप्त हुई हैं कि बनवारीलाल ने चक 15 पीटीडी ए के मु.न. 2, 271/340 कि.नं. 14 में कुल 0.025है. कमाण्ड राजकीय भूमि पर सम्वत् 2080 खरीफ में नाजायज काश्त की हैं।"
4. जबकि दिनांक 12.06.2023 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए यह अंकित किया गया हैं कि रिपोर्ट पटवारी अनुसार रोही मौजा 15

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

पीटीडी ए के मु.नं. 2 प.नं. 271/340 कि.नं. 14 का रकबा पर राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर बनवारीलाल पुत्र खिराजराम जाति नायक साकिन भागसर द्वारा अतिक्रमण कर 17.3 फीट लम्बाई व 3फीट उंचाई पर चार दिवारी का निर्माण किया गया, रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर प्रकरण धारा 22 के तहत दर्ज किया गया व फर्द मौका दिनांक 28.05.2023 बनाकर सार्वजनिक भूमि पर कब्जा के निर्माण को तुरन्त रूकवाया गया व गैर सायल को नोटिस जारी किया गया गैरसायल मौका पर उपस्थित नहीं होने के कारण नोटिस को सक्षम गवाहान के चस्पा किया गया और गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। गैरसायल द्वारा निर्धारित दिनांक 12.06.2023 से पूर्व कोई साक्ष्य सहित सक्षम जवाब आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।

5. परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को नोटिस क्रमांक 797 दिनांक 29.05.2023 के द्वारा नोटिस दिया गया कि वे दिनांक 12.06.2023 को उप तहसील समेजा में होजिर हो और कारण बताए कि क्यों न उन्हें बेदखल किया जावे। इस प्रकार अपीलार्थी को दिनांक 12.06.2023 को सुनवाई हेतु नोटिस जरिए तलब किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 12.06.2023 को अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस भी संलग्न हैं जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर नहीं लिया गया और आलौच्य आदेश अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना ही एकपक्षीय रूप से पारित कर दिया। जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत हैं।
6. अपीलार्थी अधिवक्ता के द्वारा यह भी कथन किया गया हैं कि प्रश्नगत भूमि रिकार्ड में नहर दर्ज हैं। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय कार्यवाही करने हेतु सक्षम नहीं हैं। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस में उनके द्वारा इस संबंध में कोई कथन नहीं किया गया हैं बल्कि जो तावान बनता हैं उसके जमा करवाने पर सहमति व्यक्त की हैं। अपीलार्थी के द्वारा अपील पत्र के साथ प्रस्तुत छायाप्रतियां जमाबंदी अनुसार कि.नं. 14/1 की 0.126है. गै. मु. नहर भूमि सिंचाई विभाग के नाम से दर्ज है तथा कि.नं. 14/2 की 0.025है. कमाण्ड भूमि राजकीय भूमि खाता सं. 1 में दर्ज हैं। अधिनस्थ न्यायलय की पत्रावली में केवल कि.नं. 14 अंकित हैं। इस प्रकार भूमि के सबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं हैं तथा अपीलार्थी के अधिनस्थ व इस न्यायालय में कथनों में भिन्नता हैं।
7. चूंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब को रिकार्ड पर लिये बिना तथा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना आलौच्य आदेश पारित किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 29.05.2023 व दिनांक 12.06.2023 में अंकित रिपोर्ट पटवारी/गिरदावर में भिन्नता होने के कारण न्यायालय की राय में प्रकरण अधिनस्थ न्यायायल को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित हैं।
8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश दिनांक 12.06.2023 निरस्त कर प्रकरण उपतहसीलदार समेजा कोठी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए अपीलार्थी से जवाब प्राप्त कर प्रश्नगत भूमि के आराजीराज भूमि होने के संबंध में जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 24/07/2024. को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर अनूपगढ़ **I.A.S**
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़.

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)